FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

करम मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	
18.06.2019	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट चेम्प मेडवाई मे सभी पक्षकार उप० नहीं होने से पत्रावली दिनांक 27.06.2019 को पेश हो। [signature]	अ.नि. प्यारी
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो ने मौजा आमल्दा आ.न. 772, 773, 774, 775 किता 4 रकबा .94 हैक्टे. में सहखातेदारो के हिस्से दर्ज नहीं होने से आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है— झमकु पत्नि स्व. किशना हि 1/3 मनोहर का हिस्सा 1/18 रामचंद्र का हिस्सा 1/18 गीता का हिस्सा 1/18 फोरी का हिस्सा 1/18 पिता बेणा, धापू बेवा बेणा का हि 1/18 गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पि० श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाललाल हि० ब० 1/18 नानूराम पि० मोडा 1/3 जाति बलाई सा. देह रवा० रहन बदस्तुर। सहखातेदारो द्वारा बताये गए हिस्से को मजमे आम में रखा गया जिसकी	—अ.नि. प्यारा/रूपा गोपाल नाना अ.नि. फोरी

Scanned by CamScanner

सही होने की सभी ने पुष्टि की गई। मौके पर सहमती स्वरूप पर्चा मौका तैयार करा सभी पक्षकारो व अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गए।

अतः सहखातेदारो की सहमती, तहसीलदार बेरू की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश / परिपत्र क्र. / BR/LR/NLRMP/ F-126/पार्ट-2/ 10164-96 दिनांक 26.09.2017 के निर्देशानुसार उपरोक्त वर्णितानुसार खाते मे हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/19

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 62/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. झमकु पत्नि स्व. किंशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. ममता पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. गीता पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. फोरी पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
11. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 11

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 956 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 66 सम्वत 2071–74 मे अंकित आराजी संख्या 772, 773, 774, 775 किता–4 रकबा 0.94 हैक्टर भूमि में खाता झमकू पत्नि स्व. किशना वगैराह जमाबंदी संलग्न अनुसार होकर उक्त खाते में खातेदारो के हिस्से दर्ज नहीं है , वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वाद वर्णित आराजी उनकी पैतृक भूमि है तथा वक्त भू प्रबन्ध खाता संख्या 25 पर श्री उदा नाराण पिता उँकार, प्यारा पिता रूपा किशना पिता उदा बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में श्रीमान के न्यायालय में एक वाद प्रकरण संख्या 78/11 धारा 53–88 का निर्णय हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उदा के वारिसान वेणा व वेणा के वारिसान के नाम 1/3 व किशना पिता उदा के

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

नाम 1/3,प्यारा पिता रूपा के नाम 1/3 हिस्से की घोषणा की जाकर आराजी का विभाजन किया गया था। वाद वर्णित आराजी संख्या 772, 773, 774, 775 किता 4 रकबा 0.94 सैटलमेन्ट जमाबंदी में उसी खाता संख्या 25 की है, परन्तु वाद वर्णित आराजी में प्यारा पिता रूपा द्वारा निहित हिस्सा जो 1/3 बनता है का बेचान श्री नानूराम पिता मोडा बलाई को करने से उक्त आराजी का खाता अलग कायम हो गया एवं भूल से उक्त आराजी वाद संख्या 78/11 में शामिल नहीं हो पायी व घोषणा व विभाजन से अवशेष रह गई थी। अतः वाद वर्णित आराजी मे वाद 78/11 के निर्णय अनुसार ही झमकू पत्नि स्व. किशना 1/3 मनोहर रामचंद्र गीता फोरी पिता वेणा, धापू बेवा वेणा, गोपाल लाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल ,शारदा ना.ब. स.प. भाई गोपाल लाल हिस्सा 1/3 नानूराम पिता मोडा 1/3 बलाई मुताबिक हिस्से की घोषणा फरमाई जावें। वाद संख्या 78/11 मे वसीयत से झमकू के बजाय मेरे पिता श्यामलाल पिता वेणा 1/3 व मृतक रामचंद्र मनोहर एवं धापूबाई के बजाय श्यामलाल गीता फोरी पिता वेणा 1/3 की घोषणा श्रीमान के न्यायालय में की गई है। प्रतिवादी संख्या 11 ने उपस्थित होकर बताया कि उसके द्वारा वाद वर्णित आराजी में प्यारा पिता रूपा का निहित हिस्सा 1/3 क्रय किया गया तथा उसी अनुरूप 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के बताये अनुसार खाते में हिस्से की घोषणा किये जाने पर वह सहमत है।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, भू–प्रबन्ध जमाबंदी में खाता संख्या 25 मे खातेदार उदा नाराण पिता ऊॅंकार, प्यारा पिता रूपा किशना पिता उदा बलाई सा.देह के नाम आराजी संख्या 204, 205, 206, 207, 208 ,209 ,210 ,214, 215, 216, 217, 218, 219, 772, 773, 774, 775 किता 17 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज है। हमने न्यायालय की पत्रावली दावा संख्या 78/11 की पत्रावली तलब कर उसका भी अवलोकन किया, उक्त वाद 88–53–188 का होकर दिनांक 28.11. 2014 को मूल वाद में प्राथमिक डिक्री किया गया जिसके अनुसार मौजा आमल्दा की आराजी नं0 204, 205, 206, 210 किता 4 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि में वादी श्यामलाल पिता वेणा का 1/3, श्यामलाल गीता फोरी पिता वेणा का 1/3 प्रतिवादी रूकमा पत्नि घीसालाल सायरी पत्नि संतोष कुमार 1/3 जाति बलाई का हिस्सा घोषित किया गया । आराजी संख्या 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 219, किता 9 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि में श्यामलाल पिता वेणा 1/3 , श्यामलाल गीता फोरी पिता वेणा 1/3, प्यारा पिता रूपा हिस्सा 1/3 घोषित किया गया एवं विभाजन के आदेश पारित किये गये है, जिसकी पालना होने पर दिनांक 16.02.2015 को अंतिम डिक्री पारित की गई है। रेकार्ड अवलोकन अनुसार वाद वर्णित आराजी व प्रकरण संख्या 78/11 के आराजी भू–प्रबन्ध के खाता संख्या 25 के शामलाती आराजी है जो सहवन से वादी द्वारा वाद में शामिल नहीं किये गए है। मजमें आम में जानकारी की गई जिसमें जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी झमकू पत्नि स्व. किशना 1/3 वेणा के वारिसान 1/3 प्यारा पिता रूपा के बजाय नानूराम पिता मोडा 1/3 बलाई का हिस्सा होकर काबिज इसी हक हिस्से अनुसार है। अतः मजमें आम में की गई जानकारी व पक्षकारो की आपसी सहमती व इसी न्यायालय के प्रकरण संख्या 78/11 में हुए निर्णय के अहनुसार मौजा आमल्दा के खाता संख्या 66 सं. 2071 से 74 मे अंकित आ.नं.772, 773, 774, 775 किता 4 रकबा 0.94 हैक्टर भूमि में खातेदारों के हिस्से की घोषणा की जाकर खातो में हिस्सा किया जाना हम न्यायसंगत मानते हुए वाद वादी अ.धा. 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व सह धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता सं. 66 सम्वत 2071–74 में अंकित आराजी नं. 772, 773, 774, 775, किता– 4 रकबा 0.94 हैक्टर मे श्री झमकू पत्नि स्व. किशना का हिस्सा 1/3, मनोहर का हिस्सा 1/18, रामचन्द्र का हिस्सा 1/18, गीता का हिस्सा 1/18, फोरी का हिस्सा 1/18, पिता वेणा , धापू बेवा वेणा का हिस्सा 1/18, गोपाल लाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल हिस्सा बराबर 1/18, नानूराम पिता मोडा हिस्सा 1/3 जाति बलाई रहन बदस्तुर रखते हुए खातेदारो के हिस्से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगॅू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगॅू जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 62/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूॅ तहसील बेगूॅ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. झमकु पत्नि स्व. किशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूॅ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. ममता पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. गीता पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. फोरी पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
11. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता सं. 66 सम्वत 2071–74 में अंकित आराजी नं. 772, 773, 774, 775, किता– 4 रकबा 0.94 हैक्टर मे श्री झमकू पत्नि स्व. किशना का हिस्सा 1/3, मनोहर का हिस्सा 1/18, रामचन्द्र का हिस्सा 1/18, गीता का हिस्सा 1/18, फोरी का हिस्सा 1/18, पिता वेणा , धापू बेवा वेणा का हिस्सा 1/18, गोपाल लाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल हिस्सा बराबर 1/18, नानूराम पिता मोडा हिस्सा 1/3 जाति बलाई रहन बदस्तुर रखते हुए खातेदारो के हिस्से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूॅ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूॅ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner